



प्रेषक,

शरद सक्सेना,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-14**लखनऊ : दिनांक- 31 मार्च, 2026**

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण/नवनिर्माण/पुनर्निर्माण कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था योजनान्तर्गत कतिपय क्षेत्रों के कुल 21 चालू कार्यों पर धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु०-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-20594/CE-HQ1/CHINIMILL/MRT/2025-26, दिनांक 29.03.2026, 20628/CE-HQ1/CHINIMILL/MRT/2025-26, दिनांक 30.03.2026, 20593/CE-HQ1/CHINIMILL/LKO/2025-26, दिनांक 29.03.2026, 18758/CE-HQ1/CHINIMILL/KNP/2025-26, दिनांक 20.01.2026, 19393/CE-HQ1/CHINIMILL/GON/2025-26, दिनांक 06.02.2026, 19516/CE-HQ1/CHINIMILL/GON/2025-26, दिनांक 12.02.2026, 19557/CE-HQ1/CHINIMILL/GON/2025-26, दिनांक 16.02.2026, 19705/CE-HQ1/CHINIMILL/MBD/2025-26, दिनांक 24.02.2026, 20344/CE-HQ1/CHINIMILL/ALI/2025-26, दिनांक 23.03.2026 एवं 20591/CE-HQ1/CHINIMILL/MBD/2025-26, दिनांक 29.03.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण/नवनिर्माण/पुनर्निर्माण कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था योजना के अधोलिखित तालिका में अंकित चालू कार्यों पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल ₹0 285.31 लाख (रूपये दो करोड़ पचासी लाख इकतीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरण/शर्तों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि ₹0 लाख में)

क्र० स०	जनपद/ खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत/ प्राथमिक लागत	बचत	अनुरक्षण की लागत	अनुरक्षण की लागत	अनुरक्षण की लागत	अब तक आवंटन	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	नि.ख. मेरठ	लावडमीठेपुर रोड से लावड जलालपुर रोड तक पुनःनिर्माण का कार्य।	30.91	1.73	29.18	2.09	27.09	10.25	12.00
2	नि.ख.-1 सीतापुर	रामपुर कलां मार्ग से कन्दुनी मार्ग (द्वितीय एवं तृतीय भाग)	254.08	5.80	248.28	17.36	230.92	168.12	62.80
3	प्रा.ख. बागपत	शबगा-कोताना रोड से आदिलाबाद मार्ग (प्रथम भाग)	54.76	0.22	54.54	3.71	50.83	16.85	25.00
4	नि.ख. फर्रुखाबाद	जरहरीमार्ग से गठवाया मार्ग पर पुनर्निर्माण का कार्य	28.69	4.07	24.62	1.59	23.03	16.01	7.02
5	नि.ख. फर्रुखाबाद	जरहरीसे गठवाया सम्पर्क मार्ग द्वितीय भाग पर पुनर्निर्माण का कार्य	13.97	2.50	11.47	0.94	10.53	7.27	3.26
6	नि.ख.-1 बहराइच	बहराइचगोण्डा पी०डब्ल्यू०डी० मार्ग से 10वें किमी० कोरैमऊ ग्राम तक सम्पर्क मार्ग के किमी० 1 (450) के	18.51	0.23	18.28	1.25	17.03	0.22	16.81

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

		पुनर्निर्माण का कार्य।							
7	प्रा.ख. श्रावस्ती	कटराबीरपुर मार्ग से मलपुरवा संपर्क मार्ग का पुनर्निर्माण का कार्य।	17.80	0.04	17.76	1.20	16.56	12.42	4.13
8	नि.ख.-1 गोण्डा	गोण्डा फैजाबाद रोड से बनधुसरा सम्पर्क मार्ग	15.13	0.36	14.77	1.01	13.76	10.23	3.53
9	नि.ख.-1 गोण्डा	पिपरा पदुम कौडिया मार्ग से शुक्लन हाथा से शुक्लनपुरवा सम्पर्क मार्ग	9.28	0.03	9.25	0.63	8.62	6.47	2.15
10	नि.ख.-1 गोण्डा	चंदापुर कौडिया मार्ग पर पडरावा घाट से मौलापुरवा सम्पर्क मार्ग	26.68	0.14	26.54	1.81	24.73	18.57	6.16
11	नि.ख.-1 गोण्डा	दुर्जनपुर बलेसर रोड से लोनियनपुरवा होते हुए अहिरनपुरवा सम्पर्क मार्ग	30.49	0.16	30.33	2.06	28.27	11.59	16.84
12	नि.ख.-2 बिजनौर	झिलमिला.बिन्जाहेडी मार्ग से परमानन्दपुर गांवडी सम्पर्क मार्ग	19.27	1.39	17.88	1.30	16.58	12.09	4.49
13	नि.ख.-2 बिजनौर	पानाहिमपुर से मुर्शतपुर रेलवे स्टेशन तक	9.99	0.70	9.29	0.68	8.61	6.29	2.32
14	नि.ख.-2 बिजनौर	मोटा महादेव से हरिद्वारा बाईपास शिवमंदिर से नहर की पटरी	51.56	6.47	45.09	3.55	41.54	34.87	6.67
15	प्रा.ख. मुरादाबाद	काँठ रेलवे स्टेशन से पेली विश्वाई मार्ग शेष भाग मार्ग के पुनर्निर्माण का कार्य।	36.38	6.83	29.55	1.45	28.1	25.17	2.93
16	प्रा.ख. कासगंज	गोरहा पी0डब्ल्यू0डी0 मार्ग पर पुनर्निर्माण का कार्य	30.13	6.12	24.01	0.72	23.29	14.94	5.00
17	प्रा.ख. सम्भल	वर्ष 2024.25 में चितौरा से बमनेटा मार्ग का पुनर्निर्माण का कार्य।	108.60 88.84	9.86	78.98	7.35	71.63	30.55	41.08
18	प्रा.ख. सम्भल	काफुरपुर से हैदरपुर मार्ग का पुनः निर्माण का कार्य।	60.31 57.88	6.88	51	3.06	47.94	35.30	12.64
19	प्रा.ख. सम्भल	पीण्डब्ल्यूण्डीण् दिल्ली रोड सलेमपुर सलारपुर;हाजीपुर से जाटवों की मडैयाद मार्ग का पुनः निर्माण का कार्य।	41.56 41.02	8.2	32.82	2.35	30.47	15.21	15.26
20	प्रा.ख. सम्भल	गोठना बाईपास मार्ग का पुनः निर्माण का कार्य।	48.64 41.74	3.37	38.37	3.29	35.08	20.24	14.84
21	प्रा.ख. सम्भल	बटुआ से अट्टा आश्रम होते हुए अतौरा रोड तक मार्ग का पुनः निर्माण का कार्य।	58.75 53.69	4.08	49.61	3.99	45.62	0.30	20.38
			योग						285.31

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

- (1) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि विश्वकर्मा पोर्टल के माध्यम से मुख्यालय, लो0नि0वि0 द्वारा जनरेट की गयी मांग/सूचना के आधार स्वीकृत की जा रही है। यदि उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों/मांग में कोई विसंगति भविष्य में प्रकाश में आती है अथवा पाया जाता है कि प्रस्ताव में कोई गलत सूचना देकर या तथ्य छिपाकर अधिक धनराशि शासन से अवमुक्त करा ली जाती है अथवा व्यपगत धनराशि को चालू कार्य के रूप में स्वीकृत करा लिया जाता है, तो सम्बन्धित अभियन्ता के विरुद्ध कठोर कार्यवाही के साथ ही नियमानुसार धनराशि की वसूली भी सुनिश्चित की जायेगी।
- (2) प्रश्नगत चालू कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

- (3) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य के सपरिष्कृत लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।
 - (4) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल एवं पुनरीक्षित शासनादेशों की समस्त शर्तों तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (5) लोक निर्माण विभाग में सी०सी०एल० प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ओन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी०डी०ओ० कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी०सी०एल०प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,85,31,000 (रुपये दो करोड़ पचासी लाख इक्तीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 5054043371355 चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण / नवनिर्माण / पुनर्निर्माण कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक-27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
शरद सक्सेना
संयुक्त सचिव।

संख्या व दिनांक तदैय।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, मा० मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन।
- 2- निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
- 4- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
- 5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
- 6- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 7- संयुक्त सचिव/नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन।
- 8- मुख्य अभियन्ता (मु०-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 9- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
- 10- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 11- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
- 12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु०-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु०-1, उ०प्र० शासन।
- 13- राज्य योजना आयोग-1/2, उ०प्र० शासन।
- 14- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

15- लोक निर्माण अनुभाग-10, उ०प्र० शासन।

16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
शरद सक्सेना
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।